


184



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-भिण्ड ^{दिनांक 36 93- I- 18}

ग्यासी राम सिंह पुत्र श्री रन्धीर
सिंह ठाकुर
निवासी - ग्राम तुकैडा तहसील
गौहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

—आवेदक

विरुद्ध

- 1- मनोरमा पत्नी स्व. विजेन्द्र सिंह
ठाकुर निवासी - ग्वालियर
कृषक तुकैडा तहसील गौहद
जिला भिण्ड (म.प्र.)
- 2- गुरुमेल सिंह पुत्र श्री सरमन सिंख
निवासी - चकतुकैडा तहसील
गौहद जिला भिण्ड (म.प्र.)
- 3- रामकिशन सिंह पुत्र श्री पुतू सिंह
ठाकुर निवासी - ग्राम तुकैडा
तहसील गौहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

— अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण
क्रमांक 31/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 के
विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहद जिला भिण्ड
का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से
अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी गौहद द्वारा आवेदक

दिनांक 19-10-16

19/10/16
दिनांक 19-10-16

310
19-10-16

M

